

पू.सं. 431/25

31.10.25

8

2025/523

पत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 208, 201, 200 में मगना पुत्र रामा दर्ज है जबकि मेरे दस्तावेज आधारकार्ड में मगनीशम पुत्र रामा दर्ज है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

शासनकार्ड दर्ज कराये

मगनीशम

दिनांक:-

(9.6.6078.9554)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम लसाडिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 208, 201, 200 में प्रार्थी का नाम मगना पुत्र रामा दर्ज है। जबकि मुताबिक सलमन व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मगनीशम पुत्र रामा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0

मगनीशम

20.9.2025

पटवारी

20/9/25

रिपोर्ट तेहसीलदार

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

ग.प. अमरगढ़

20/09/25

11

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मगनीशम भू0अ0नि0 मगनीशम एवं प्रार्थी द्वारा सलमन दस्तावेज के आधार पर ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 208, 201, 200 में प्रार्थी का नाम मगनीशम पुत्र रामा के वजाय मगनीशम पुत्र रामा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

मगना पुत्र रामा

मगनीशम पुत्र रामा

उपखण्ड अधिकारी - काजोर 20/9/25

मुताबिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी आदेश द्वारा ग्राम लसाडिया जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 208, 201, 200 में दर्ज प्रार्थी का नाम मगनीशम पुत्र रामा के स्थान पर मगनीशम पुत्र रामा संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा